

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून- 248001

फोन न० (0135) - 2713551
फैक्स न० (0135) - 2713724

संख्या: 2849 /XXV-90/2022

देहरादून : दिनांक 02 मई, 2022

सेवा में,

अपर निदेशक,
राजकीय मुद्रणालय, रुड़की,
हरिद्वार।

विषय:- उत्तराखण्ड राज्य की 55-चम्पावत विधान सभा के लिए उप निर्वाचन हेतु
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना को राज्य के असाधारण गजट में
प्रकाशन हेतु प्रेषण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या-100/ECI/UKD-LA/1/2022 दिनांक 02 मई 2022 के साथ संलग्न अधिसूचना दिनांक 4 मई 2022 की हिन्दी एवं अंग्रेजी की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही हैं कि आयोग द्वारा उक्त अधिसूचना को उत्तराखण्ड राज्य के शासकीय राजपत्र के असाधारण अंक में दिनांक 04 मई 2022 को प्रकाशित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः आयोग की उक्त अधिसूचना को राज्य के शासकीय राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराते हुए प्रकाशित गजट की 25-25 (पच्चीस) प्रतियां यथाशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक- यथोपरि।

भवदीय,



(सौजन्या)

सचिव एवं,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

पू०संख्या 2849 /XXV-90/2022, तददिनांक।

प्रतिलिपि:- 1-सचिव, श्री राज्यपाल, राजभवन, उत्तराखण्ड को उक्त अधिसूचना की प्रति सादर सूचनार्थ।

2-जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, चम्पावत को आयोग के उपरोक्त वर्णित पत्र संख्या-100/ECI/UKD-LA/1/2022 दिनांक 02 मई 2022 के साथ संलग्न अधिसूचना दिनांक 04 मई 2022 की हिन्दी एवं अंग्रेजी की प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक- यथोपरि।



(सौजन्या)

सचिव एवं,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।



By E- mail/Speed Post

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय
SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001
NirvachanSadan, Ashoka Road, New Delhi-110001.

No.100/ECI/ UKD-LA/1/2022

Dated: 02-05-2022

To

The Chief Electoral Officer,
Uttarakhand,
Dehradun

Subject: Bye-election from 55-Champawat Assembly Constituency in the State of Uttarakhand –
Notification- regarding.

Sir,

I am directed to state that the Commission has announced on 2nd May, 2022 the schedule for holding the bye-election to fill the vacancy from 55-Champawat Assembly Constituency caused due to resignation of Shri Kailash Chandra Gahtori.

2. In this connection, I am directed to forward herewith, in advance, Commission's Notification No. 100/ECI/UKD-LA/1/2022/NS-II, dated 04 May, 2022 and to request that necessary arrangements may kindly be made for its publication in an extraordinary issue of State Gazette on dated 04 May, 2022.
3. Six copies containing the above mentioned notification may kindly be forwarded to the Commission as soon as it is published.
4. The hours of poll will be from 7.00 AM to 5.00 PM.
5. The Counting of votes will be at 8.00AM on 03-06-2022.
6. The receipt of this letter together with its enclosures may kindly be acknowledged.

Yours faithfully,


(K.P. SINGH)

UNDER SECRETARY
ELECTION COMMISSION OF INDIA



भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय
SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001.

Date: 04th May, 2022
14, Vaisakha, 1944 (Saka)

NOTIFICATION

No. 100/ECI/UKD-LA/1/2022/NS-II: - WHEREAS, the seat of Shri Kailash Chandra Gahtori in the Legislative Assembly Constituency of State of Uttarakhand, elected from **55-Champawat AC**, has become vacant on 21st April, 2022 by reason of resignation ; and

2. **WHEREAS**, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

3. **NOW THEREFORE**, in pursuance of sub-section(1) of section 150, and section 30 and 56 of the Representative of People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby:-

(A) **Calls upon** the said **55-Champawat AC** Assembly Constituency in the State of Uttarakhand, to elect, before 5th June, 2022 (Sunday) and in accordance with the provision of the said act and of the rules and order made thereunder, a person for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the Uttarakhand state;

(B) **Appoints**, with respect to the said election :-

- (a) The 11th May, 2022 (Wednesday), as the last date for making nominations;
- (b) The 12th May, 2022 (Thursday), as the date for the scrutiny of nominations;
- (c) The 17th May, 2022 (Tuesday) as the last date for withdrawal of candidatures;
- (d) The 31st May, 2022 (Tuesday) as the date on which a poll shall, if necessary be taken up;
and
- (e) The 05th June, 2022 (Sunday), as the date before which the election shall be completed;
and

(C) **Fixes** the hours from **7.00 AM to 5.00 PM**, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

By order,

(Rahul Sharma)
PRINCIPAL SECRETARY
ELECTION COMMISSION OF INDIA



भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय
SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001.

दिनांक: 04 मई, 2022
14 बैसाख, 1944 (शक)

अधिसूचना

सं० 100/भा०नि०आ०/उत्तरा०-वि०स०/1/2022/उ०अनु०-2:- यतः, उत्तराखण्ड राज्य विधानसभा में, 55-चम्पावत विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचित, श्री कैलाश चन्द्र गहतोडी के त्यागपत्र देने के परिणामस्वरूप दिनांक 21 अप्रैल, 2022 से रिक्त हो गया है :और

2 यतः, इस प्रकार उत्पन्न रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराया जाना है;

3 यतः, अब, लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा (1) एवं धारा 30 और 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग, एतद् द्वारा :-


(अ) उत्तराखण्ड राज्य विधानसभा में 55-चम्पावत विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि वह 05 जून, 2022(रविवार) से पूर्व और उक्त अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य विधानसभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति को निर्वाचित कर दे,

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में—

(क) नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख	11 मई, 2022 (बुधवार)
(ख) नाम निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख	12 मई, 2022 (गुरुवार)
(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख	17 मई 2022 (मंगलवार)
(घ) वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा	31 मई, 2022 (मंगलवार)
(ङ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन सम्पन्न कर लिया जाएगा	05 जून, 2022 (रविवार)

नियत करता है, और

(इ) 7.00 बजे पूर्वाह्न से 5.00 बजे अपराह्न तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है, जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से,

(राहुल शर्मा)
प्रधान सचिव
भारत निर्वाचन आयोग